



State Bank of India

Local Head Office, Tilak Marg, Jaipur -302005

PUBLIC NOTICE – EMPANELMENT OF VALUERS (LAST DATE 15.09.2025)

State Bank of India, Local Head Office, Jaipur invites applications for empanelment of Valuers for the period from 01.01.2026 to 31.12.2029. Any of the below mentioned categories of Valuers may apply for empanelment as valuers with SBI Jaipur Circle, subject to the fulfillment of eligibility criteria.

- a. Registered Valuers under the provision of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, who ought to be registered under the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules 2017, as per the notification dt. 18.10.2017 of Govt. of India, Ministry of Company Affairs, and
- b. Valuers registered under section 34AB of the Wealth Tax Act, 1957 (Compulsory for valuers under SARFAESI Act, 2002)
- c. Valuers other than (a) and (b) above having essential qualifications.

The empanelment of valuers shall be in the following categories:

- (i) Valuers under SARFAESI Act, 2002
- (ii) Valuers other than under SARFAESI Act, 2002, (including valuers registered with IBBI)

The valuers shall submit their applications in the prescribed formats along with relevant enclosures/documents etc., to the nearest business units / branches etc. by 15.09.2025 (5:00 PM) for further scrutiny, recommendation and submission to appropriate authority.

Further, already empaneled Valuers should note that they do not have to apply afresh unless they want to UPGRADE category, in which they have been empaneled.

For details, please visit our official website bank.sbi 🔍 “SBI in the news” 🔍 Show More 🔍 “Empanelment of vendors”.

The Bank reserves the right to amend/modify/ withdraw any terms and conditions of empanelment and withdraw the advertisement without any notice.

Date: 30.08.2025

DGM & CCO
Jaipur

भारतीय स्टेट बैंक
स्थानीय प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, जयपुर-302005
सार्वजनिक सूचना - मूल्यांकनकर्ताओं को सूचीबद्ध करने हेतु

अंतिम तिथि : 15.09.2025

भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, जयपुर 01.01.2026 से 31.12.2029 की अवधि के लिए मूल्यांकनकर्ताओं को सूचीबद्ध करने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। एसबीआई जयपुर मंडल में मूल्यांकनकर्ताओं के रूप में पैनल में शामिल होने के लिए नीचे दी गई मूल्यांकनकर्ताओं की श्रेणियों में से किसी एक के लिए आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते वे मानदंड की शर्तें पूरी करते हों।

ए. इनसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्टसी कोड, 2016 के प्रावधान के तहत पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता, जिन्हें भारत सरकार, कंपनी मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18.10.2017 के अनुसार कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम 2017 के तहत पंजीकृत होना चाहिए, और

बी. संपत्ति कर अधिनियम 1957 की धारा 34 एबी (सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत मूल्यांकनकर्ताओं के लिए आवश्यक) के अधीन पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता।

सी. उपर्युक्त (ए) और (बी) के अतिरिक्त अन्य मूल्यांकनकर्ता जो आवश्यक योग्यता रखते हैं।
निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत मूल्यांकनकर्ताओं को सूचीबद्ध किया जाएगा।

- (i) सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम 2002 के अधीन मूल्यांकनकर्ता।
- (ii) सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम 2002 के अतिरिक्त मूल्यांकनकर्ता (आईबीबीआई में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं सहित)।

मूल्यांकनकर्ता अपने आवेदन, निर्धारित प्रारूप में, संबंधित संलग्नकों/दस्तावेजों आदि सहित, संवीक्षा, संस्तुति एवं उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाने हेतु दिनांक 15.09.2025 (5:00 PM) तक अपनी निकटतम व्यावसाय इकाई/शाखा में जमा करवा दे।

बैंक के साथ पहले से सूचीबद्ध मूल्यांकनकर्ता को यह नोट करना चाहिए कि उन्हें तब तक नए सिरे से आवेदन नहीं करना है जब तक कि वे उस श्रेणी को अपग्रेड नहीं करना चाहते, जिसमें उन्हें सूचीबद्ध किया गया है।

विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया हमारे आधिकारिक वेबसाइट bank.sbi >SBI in the news" >Show More>"Empanelment of vendors" देखें।

बैंक के पास, नोटिस दिए बिना इसमें किसी प्रकार के संशोधन/आशोधन/सूचीबद्ध के किसी निबंधन एवं शर्तों और विज्ञापन को वापिस लेने का अधिकार सुरक्षित है।

दिनांक : 30.08.2025

उमप्र एवं सीसीओ
जयपुर